संख्या-06/2023/196/क0नि0प्र0/26-3-2023

फाइल कम्प्यूटर नं0- 1692329

प्रेषक,

रजनीश चन्द्र,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0 लखनऊ।

कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ लखनऊ: दिनांक 31 मार्च, 2023

समाज कल्याण विभाग

विषय: वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान सं0-83 से अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों में आधारभूत सुविधाओं का विकास योजनान्तर्गत जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड ब्रम्हपुर के अन्तर्गत ग्राम सिंहोरवा एवं ग्राम बसुही गौरसेरा में विकास कार्य कराये जाने हेतु द्वितीय किश्त के रूप में धनराशि व्यय किये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने के संबंध में।

.....

महोदय

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक- 2030-31/स0क0विकास/आधारभूत-गोरखपुर(13)/2022-23 दिनांक 03 मार्च, 2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों में आधारभूत सुविधाओं का विकास योजनान्तर्गत जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड ब्रम्हपुर के अन्तर्गत ग्राम सिंहोरवा एवं ग्राम बसुही गौरसेरा में स्वीकृत सी0सी0रोड, हैण्डपम्प, पिच रोड एवं सोलरलाइट कार्य हेतु कुल आगणित धनराशि रू0 514.07 लाख के सापेक्ष शासनादेश संख्या-32/2020/ 713/ क0नि0प्र0/ 26-3-2020-20(56)/2020 दिनांक 21 दिसम्बर,2020 द्वारा प्रथम किश्त के रूप में स्वीकृत कुल धनराशि रू0 103.00 लाख के उपभोग के उपरान्त अवशेष धनराशि रू0 411.07 लाख में से निम्न विवरण के अनुसार कालम-9 में अंकित कुल रू0 100.00 लाख (रू0 एक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

करोड़ मात्र) की धनराशि द्वितीय किश्त के रूप में शासनादेश संख्या-08/ 2022/ 570/ क0नि0प्र0/26-3-2022-21(48)/2021 टी0सी0 दिनांक 11-08-2022 द्वारा प्रश्नगत योजनान्तर्गत एस0एन0ए0 (सिंगल नोडल एजेन्सी) के खाते में जमा/ उपलब्ध धनराशि में से व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(रू0 लाख में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	विकास खण्ड का नाम	ग्राम का नाम	कार्य का नाम	कार्य की कुल लागत	प्रथम किश्त के रूप में स्वीकृत धनराशि	अवशेष धनराशि	द्वितीय किश्त के रूप में स्वीकृत की जा रही धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	गोरखपुर	ब्रम्हपुर	बसुही गौरसेरा	सी0सी0रोड, हैण्डपम्प, पिच रोड एवं सोलर लाइट	170.44	34.00	136.44	50.00
	गोरखपुर	ब्रम्हपुर	सिहोरवां	सी0सी0रोड, हैण्डपम्प, पिच रोड एवं सोलर लाइट	343.63	69.00	274.63	50.00
					514.07	103.00	411.07	100.00

(रू0 एक करोड़ मात्र)

<u>शर्ते/ प्रतिबन्ध</u>

1. उक्त स्वीकृति के सापेक्ष पूर्ण कराये जाने वाले अवशेष कार्यो हेतु स्वीकृत आगणन में इंगित/अनुमोदित दरों के आधार पर पूर्व में नामित कार्यदायी संस्था यू0पी0सिडको से कार्य कराया जायेगा तथा उक्त स्वीकृत कार्य शासनादेश संख्या

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

32/2020/713/क0नि0प्र0/26-3-2020-20(56)/2020 दिनांक 21 दिसम्बर,2020 में अंकित शर्तो एवं प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए कराया जायेगा।

2. स्वीकृत धनराशि का व्यय भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पी0एम0.अजय) के अन्तर्गत नामित सिंगल नोडल एजेन्सी के खाते में संबंधित योजनान्तर्गत जमा धनराशि में से नियमानुसार किया जायेगा।
3. प्रश्नगत धनराशि को निर्गत किये जाने के संदर्भ में वित्त विभाग के कार्यालय-शासनादेश संख्या-5/2022/बी-1-224/दस-2022-231/2022 दिनांक 07 जून,2022 में निर्धारित दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
4. उक्त प्रायोजनाओं का कार्य सक्षम स्तर से प्राप्त तकनीकी स्वीकृति के अनुसार ही किया जायेगा तथा तकनीकी स्वीकृति की एक प्रति शासन एवं समाज कल्याण निदेशालय को संबंधित कार्यदायी संस्था द्वारा तत्काल उपलब्ध कराते हुए स्वीकृत की जा रही धनराशि व्यय की जायेगी। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी संबंधित अधिकारी की होगी।
5. संबंधित जिलाधिकारी/संबंधित अधिकारी द्वारा उक्त कार्य के संबंध में यह पुष्टि की जायेगी कि यह कार्य पूर्व में अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न ही पूर्व में किया गया है तथा वर्तमान में किसी अन्य योजना/ कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित नहीं है।
6. अवमुक्त धनराशि का आहरण दो माह की आवश्यकतानुसार किश्तों में किया जायेगा।
7. बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।
8. कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज लिया जायेगा। आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

9. यह अनवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यो की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर सम्पादित कराये जा रहे निर्माण कार्यो की मानीटरिंग भी किया जायेगा ।
10. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
11. प्रश्नगत स्वीकृति मानक के संबंध में निदेशालय, समाज कल्याण द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही हैए यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व संबंधित योजना अधिकारी का होगा।
12. परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/ कास्ट ओवर रन न हो। अत: इस संबंध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
13. प्रश्नगत धनराशि के आहरण एवं व्यय के दौरान योजना से संबंधित भारत सरकार की गाइडलाइन का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।
14. योजनान्तर्गत बाट आउट आइटम की श्रेणी से आच्छादित कार्यो हेतु कार्यदायी संस्था को कोई भी सेंटेज चार्ज देय नहीं होगा।

4. उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022.2023 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-083-समाज कल्याण विभाग(अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अधीन लेखाशीर्षक-4225.अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछडे वर्गो का कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-789.अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घ्टक योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0106-अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों में आधारभूत सुविधाओं का विकास(के.100/रा.0-के.) -24-वृहद निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

5. यह आदेश शासनादेश सं0-08/2022/570/0नि0प्र0/26-3-2022-21(48)/2021 टी0सी0 दिनंक 11-08-2022 में वित्त विभाग की प्राप्त सहमति के संदर्भ में निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

रजनीश चन्द्र
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. संयुक्त सचिव,सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
3. निदेशक,सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
4. जिलाधिकारी, गोरखपुर।
5. कोषाधिकारी, कैसरबाग,लखनऊ/कोषाधिकारी, जवाहर भवन,लखनऊ/कोषाधिकारी गोरखपुर।
6. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरशन लि0 (यू0पी0सिडको) उ0प्र0 लखनऊ।
7. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0, महानगर, लखनऊ।
8. वित्त नियंत्रक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
9. जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) गोरखपुर।
10. वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4/ बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग।
11. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

आत्म प्रकाश पाण्डेय
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।